भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4788

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एसएफआईओ की जांच

4788. श्रीमती अंजू बालाः

श्री बी॰ श्रीरामुलुः

श्री तेज प्रताप सिंह यादवः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मै॰ फोर्टिस हेल्थकेयर में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच आरंभ करने के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मै॰ फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटरों ने करीब एक वर्ष पूर्व बोर्ड की बिना किसी स्वीकृति के, कंपनी से कथित रूप से कम से कम 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर ले लिए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मै॰ फोर्टिस हेल्थकेयर भी बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच के घेरे में आ गया है, जिसने विनियमन संबंधी कथित चूकों के संबंध में जांच आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए और लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बढ़ते कारपोरेट अपराधों को रोकने के संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क)(ख) और (ग): मंत्रालय ने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं और यह कार्य गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को दिनांक 17.02.2018 के आदेश द्वारा सौंपा है। जांच प्रक्रिया के दौरान सभी मुद्दों पर उनकी पूर्णतया जांच एसएफआईओ द्वारा की जाएगी। वर्तमान में जांच प्रारंभिक अवस्था में है।

(घ): एसएफआईओ को पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनियों की जांच, निपटान और लंबित मामलों का विवरण नीचे दिया गया है :

वित्त वर्ष	**कंपनियों की जांच (शेष अग्रनीत)**	**सौंपी गई जांच**	**पूरी की गई जांच**	**लंबित जांच**
2014-15	**94**	**71**	**39**	**126**
2015-16	**126**	**184**	**60**	**250**
2016-17	**250**	**111**	**87**	**274**
2017-18 (वर्तमान तारीख के अनुसार)	**274**	**209**	**118**	**365***

***(इसमें 17 कंपनियों से संबंधित खारिज/वापस लिए गए और स्थगित मामले शामिल हैं।)**

(ङ): सरकार ने कारपोरेट कपट को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) कपट को कंपनी अधिनियम, 2013 में महत्वपूर्ण अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कारपोरेट शासन के लिए कड़े मानदंड विहित किए गए हैं।

(iii) डाटा विश्लेषण, निगरानी और फॉरेंसिक आदि के माध्यम से कपट का पहले से पता लगाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है।

*****